(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– पूनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 135 / 2025 **जीसीएमएस नम्बर :– 2025 / 374**

1. घनश्याम पुत्र जगदीश उम्र 75 साल जाति बह्मण निवासी सागा तहसील बुहाना जिला झुन्झनू राज.

............वादी

<u>बनाम</u>

1. कैलाश पुत्र जगदीश उम्र 40 साल जाति ब्रह्मण निवासी सागा तहसील बुहाना जिला झुन्झनू राज0
2. गजेन्द्र शर्मा पुत्र मुरारीलाल उम्र साल जाति ब्रह्मण निवासी सागा तहसील बुहाना जिला झुन्झनू राज.
3. चन्द्रा देवी पुत्री मुरारीलाल जाति ब्रह्मण निवासी सागा तहसील बुहाना जिला झुन्झनू राज.
4. पुजा शर्मा पुत्री मुरारीलाल जाति ब्रह्मण निवासी सागा तहसील बुहाना जिला झुन्झनू राज0
5. राजेश पुत्र रामकुमार जाति ब्रह्मण निवासी सागा तहसील बुहाना जिला झुन्झनू राज.
6. ललीता देवी पत्नी स्व. मुरारीलाल जाति ब्रहामण निवासी सामना तहसील बुहाना जिला झुन्झनू राज.
7. सोनो पुत्र मुरारीलाल जाति ब्रह्मण निवासी सागा तहसील बुहाना जिला झुन्झन राज.
8. मंजु देवी पत्नी सुरेश कुमार जाति ब्रह्मण निवासी निवासी चिडावा तहसील चिडावा जिला झुन्झनू राज.
9. हीरा पुत्र जीवा जाति ब्रह्मण निवासी सागा तहसील बुहाना जिला झुन्झनू राज.
10. शाखा प्रबन्धक आइ.सी.आइ.सी.आई. शाखा ढाणा तहसील बुहाना जिला झुन्झनू राज.
11. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झनू राज.

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुं. (राज.)

दावा बाबतः– खाता विभाजन

<u>–:निर्णयः–</u>

दिनांकः– 2/12/25

(1) वादी का वादपत्र रहा किः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.30 16:41:49 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि ग्राम हमीरवास पटवार हल्का ... तहसील ... जिला झुन्झनू राज. के जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता ... 73 ... 42 रकबा 0.7000 ... खसरा न0 43 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा न0 44 रकबा ...300 हैक्टर, खसरा न0 ... रकबा 0. 8000 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 1. 5400 हैक्टर मे वादी का 1/8 हिस्सा, तथा

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/8 भाग व प्रतिवादी संख्या 2 तथा 3 व 4 व 6 और 7 का हिस्सा 1/40 भाग,प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्स 1/8 भाग, तथा प्रतिवादी संख्या 8 का हिस्सा 1/4 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 9 का हिस्सा 1/4 भाग दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसकी हाल जमाबन्दी मय नक्शा सलग्न वाद पत्र है ।

2. यह कि ग्राम सागा पटवार हल्का कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. हाल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता संख्या 127 के खसरा न० 310 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा न० 345 रकबा 0.3100 हैक्टर, खसरा न० 346 रकबा 0.3100 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.7000 हैक्टर में वादी का हिस्सा 1\8 भाग, प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्स 1/8 भाग, प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, तथा 6 व 7 का हिस्सा 1/40 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 1/8 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 9 का हिस्सा 1/2 भाग दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसकी हाल जमाबन्दी मय नक्शा सलंग्न वाद पत्र है।

3. यह कि ग्राम हमीरवास पटवार हल्क थली तहसील बुहाना जिला झुन्झनू राज. जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता संख्या 54 के खसरा न० 36 रकबा 1. 5200 हैक्टर मे वादी का हिस्सा 1/4 भाग, प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4 भाग, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का हिस्सा 1/20 तथा प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 1/4 भाग दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसका हाल जमाबन्दी मय नक्शा सलग्न वाद पत्र है।

4. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 लगायत 2 मे दर्ज आराजी कृषि भूमि वादी का हिस्सा 1/8 तथा वाद पत्र के खण्ड संख्या 3 मे दर्ज वादी का हिस्सा 1/4 जिसका बाहमी बटंवारा वादी व प्रतिवादीगण ने हिस्से अनुसार किया गया है और उसी अनुसार वादी अपने हिस्सा पर काबिज काश्त है ।

5. यह कि वाद वर्णित विवादित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की सयुक्त खातेदारी मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जिसमे वादी अलग से खाता विभाजन कर तदानुसार राजस्व रिकार्ड मे कायम किया जाने बाबत दावा खाता विभाजन माननिय न्यायालय श्रीमानजी की सेवा में पेश है ।

6. यह कि वाद वर्णित विवादित आराजी कृषि भूमि मे कब्ज व हिस्सा मे कोई विवाद नही है परन्तु सयुक्त खातेदारी मे होने से वादी को भारी हक तलफी है जिसमे वादी अपने हिस्सा व कब्जा अनुसार खाता विभाजन करना चाहते है । जिसमे प्रतिवादी एक साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने के कारण यह दावा बाबत खाता विभाजन न्यायलय श्रीमानजी की सेवा में पेश है।

7. यह कि दावा का आधार विवाद इस प्रकार है कि वादी का सयुक्त खातेदारी मे दर्ज होने से तथा प्रतिवादी न्यायालय मे उपस्थित नही होने के [illegible] दावा बाबत खाता विभाजन पेश करना आवश्यक हुआ है।

8. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 लगायत 3 मे [illegible] आराजी भूमि का वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 ने अपना हिस्सा का कब्जा का बहमी बंटवार किया हुआ है और उसी अनुसार कब्जाकाश्त है लेकिन आराजी सयुक्त खातेदारी मे दर्ज होने से यह दावा खाता विभाजन का न्यायलय श्रीमानजी की सेवा मे पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.30 16:41:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

9. यह कि दावा बाबत खाता विभाजन के लिये कोई मियाद नही है इसलिये यह दावा अन्दर मियाद सेवा मे पेश है।
10. यह कि वाद वर्णित विवादित ग्राम हमीरवास तथा ग्राम सागा मे स्थित है जिसकी तहसील बुहाना है जो माननिय न्यायाल के क्षेत्राधिकार में स्थित है।
11. यह कि प्रतिवादी संख्या 10 बैक है जिसमे खातेदारक ने अपनी भूमि रहन किया हाने से तथा प्रतिवादी संख्या 11 लैण्ड होल्डर है जो आवश्यक पक्षकार है ।
12. यह कि वाद पत्र के पक्ष मे वादी का शपथ पत्र सेवा में पेश है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क). कि ग्राम हमीरवास पटवार हल्वा थली स्थित आराजी कृर्षि भूमि खाता संख्या 73 के खसरा न0 42, 43, 44, 45 कुल किता 4 कुल रकबा 1.54 हैक्टर मे वादी का हिस्सा 1/8 भाग का खाता विभाजन कर अलग से राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाने का आदेश देने की कृपा करे ।

(ख). कि वाके ग्राम सागा पटवार हल्वा कलाखरी तहसील बुहाना स्थित आराजी कृर्षि भूमि खाता संख्या 127 के खसरा न. 310, 345, 346 कुल किता 3 कुल रकबा 0.7000 हैक्टर भूमि मे वादी का हिस्सा 1/8 भाग का हिस्से कब्जे अनुसार खाता विभाजन कर तदानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाने का आदेश देने की कृपा करे।

(ग). कि ग्राम हमीरवास पटवार हल्का थली तहसील बुहाना स्थित आराजी कृर्षि भूमि खाता संख्या 54 के खसरा न. 36 रकबा 1.54 हैक्टर मे वादी का हिस्सा 1/4 भाग का हिस्सा व कब्जा अनुसार खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाने का आदेश देने की कृ पा करे ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से श्री सीताराम सैनी एडवोकेट द्वारा वकालतनामा जवाबदावा मय प्रतिदावा दिनांक 10.07.2025 को पेश किया गया। तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे दिनांक 10.07.2025 को लाई गई।

प्रतिवादी संख्या–8 की ओर से जवाब दावा मय प्रतिदावा निम्न प्रकार पेश है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.30 16:41:49 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि दावा का खण्ड संख्या–1 स्वीकार है। वादी संख्या–8 का 1/4 हिस्सा स्वीकार है।
2. यह का दावा का खण्ड संख्या–2 स्वीकार है।
3. यह कि दावा का खण्ड संख्या–3 स्वीकार है।
4. यह कि दावा का खण्ड संख्या 4 स्वीकार है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

5. यह कि दावा का खण्ड संख्या–5 स्वीकार है प्रतिवादी संख्या–8 भी अपना हिस्सा एवं कब्जा अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहती है इस लिए स्वीकार है।
6. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 6 स्वीकार है।
7. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या–7 स्वीकार है।
8. यह कि वाद पात्र का खण्ड संख्या 8 स्वीकार है।
9. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 9 स्वीकार है।
10. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या–10 स्वीकार है।
11. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या–11 स्वीकार है।
12. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 12 स्वीकार है।

प्रतिदावा प्रतिवादीया संख्या–8 की ओर से प्रतिदावा निम्न प्रकार पेश है कि रू–

1. यह कि वाके ग्राम हमीरवास पटवार हल्का थली तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज० स्थित हाल जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 अनुसार खाता संख्या 73 के खसरा नम्बर 42 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0. 03 हैक्टर, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.80 हैक्टर, कुल किता 4 कुल रकबा 1.54 हैक्टर में प्रतिवादिया संख्या–8 का हिस्सा 1/4 भाग का खाता विभाजन कब्जा एवं हिस्सा अनुसार अलग से खाता कायम कर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावें।
2. यह कि प्रतिवादिया का हिस्सा एवं कब्जा अनुसार राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 18 एक 21 अनुसार रास्ता कामय करते हुए खाता विभाजन किया जावें।
3. यह कि राजस्व रिकॉर्ड अलग से खाता कायम कर तवानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।
4. यह कि प्रतिवादी का राजस्व रिकॉर्ड दावा में वादी ने पेश किया गया है जो अपटूडेट है।
5. यह कि प्रतिदावा पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।
6. यह कि प्रतिदावा के समर्थन में प्रतिवादिया का शपथ पत्र पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
जिला झुन्झुनू (राज.)

अतः प्रतिदावा पेश कर निवेदन है कि हमीरवास सिथत जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या 73 के खसरा नम्बर 42,43,44,45 कुल किता 4 कुल रकबा 1.54 हेक्टर मे हिस्सा 1/4 भाग का खाता विभाजन तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाने का आदेश देने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.30 16:41:49 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय द[illegible] एवं बहस पर मनन किया गया। दावा खाता विभाजन का है [illegible] खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.07.2025 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 596 दिनांक [illegible].07.2025 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्राक 5091 दिनांक 18.11.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया ।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075-2078 वाके ग्राम हमीरवास स्थित भूमि हाल खाता संख्या 54, 73 व वाके ग्राम सागा के खाता संख्या 127 में वादी व प्रतिवादी संख्या 8 के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

-::आदेश::-

" न्यायालय वाद वादी व प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 8 बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम हमीरवास पटवार हल्वा थली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज० के हाल जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 के अनुसार स्थित भूमि खाता संख्या 73 के खसरा नम्बर 42, 43, 44, 45 कुल किता 4 कुल रकबा 1.54 हैक्टर, कुल किता 2 कुल रकबा 3.95 हैक्टर व खाता संख्या 54 के खसरा नम्बर 36 रकबा 1.54 हैक्टर एवं वाके ग्राम सागा पटवार पटवार हल्का कलाखरी तहसील बुहाना स्थित खाता संख्या 127 के खसरा नम्बर 310, 345, 346 कुल किता 3 कुल रकबा 0.70 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 8 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-5" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-2" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-5" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-2 के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-5" व नक्शा प्रदर्श "ब-1 लगायत ब-2 इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.30 16:41:49 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 2/12/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– पूनम मीणा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद सं.– 135/2025 जीसीएमएस नम्बर :– 2025/374

घनश्याम आदि बनाम कैलाश आदि

दावा बाबत – खाता विभाजन

–:निर्णय:–

वादी की ओर से श्री रामस्वरूप यादव की एडवोकेट की व प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से श्री सीताराम सैनी एडवोकेट की उपस्थिति एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को पूनम मीणा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी व प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 8 बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम हमीरवास पटवार हल्वा थली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज० के हाल जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के अनुसार स्थित भूमि खाता संख्या 73 के खसरा नम्बर 42, 43, 44, 45 कुल किता 4 कुल रकबा 1.54 हैक्टर, कुल किता 2 कुल रकबा 3.95 हैक्टर व खाता संख्या 54 के खसरा नम्बर 36 रकबा 1.54 हैक्टर एवं वाके ग्राम सागा पटवार पटवार हल्का कलाखरी तहसील बुहाना स्थित खाता संख्या 127 के खसरा नम्बर 310, 345, 346 कुल किता 3 कुल रकबा 0.70 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 8 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब–2" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब–2 के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब–2 इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 2/12/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी ... जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.30 16:41:49 IST
Reason: SelfAttested

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, बुहाना